न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

संख्या : 16/344

प्रहलाद आयु 63 वर्ष पुत्र कैसरा जाति माली निवासी गुढादेवजी तहसील नैनवा जिला बून्दी।
——अपीलान्ट

बनाम

1. राजेश कुमार आयु 35 साल आत्मज श्री बृद्धि प्रकाश उर्फ हरचन्दा जाति माली निवासी गुढादेवजी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. सुरेश कुमार आयु 33 साल आत्मज श्री बुद्धि प्रकाश उर्फ हरचन्दा जाति माली निवासी गुढादेवजी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. जितेन्द्र कुमार आयु 31 साल आत्मज श्री बुद्धि प्रकाश उर्फ हरचन्दा जाति माली निवासी गुढादेवजी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. रणजीत आुय 29 साल आत्मज श्री बुद्धि प्रकाश उर्फ हरचन्दा जाति माली निवासी गुढादेवजी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. विमला आयु 37 साल पुत्री श्री बुद्धि प्रकाश उर्फ हरचन्दा जाति माली निवासी गुढादेवजी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
6. कन्या आयु 56 साल पत्नी श्री बुद्धि प्रकाश उर्फ हरचन्दा जाति माली निवासी गुढादेवजी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
7. भूरा आयु 65 साल आत्मज श्री केसरा जाति माली निवासी गुढादेवजी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
8. पप्पू आत्मज श्री हीरा लाल जाति माली निवासी गुढादेवजी तहसील नैनवा जिला बून्दी।
9. मंजू पुत्री हीरा लाल जाति माली निवासी गुढादेवजी तहसील नैनवा जिला बून्दी।
10. प्रेम पुत्री केसरा निवासी गुढादेवजी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
11. भू–स्वामी जरिये तहसीलदार, नैनवा जिला बून्दी ।
12. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश , बून्दी ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नन्दसिंह हाडा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री उत्तम चन्द खण्डेलवाल, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

दिनांकः 27.03.2018

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.06.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नैनवा जिला बून्दी के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 से 6 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 अन्तर्गत ग्राम गुढादेवजी तहसील नैनवा जिला बून्दी की आराजी कुल 10 किता की रकबा 08 बीघा 11 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण का हिस्सा 5/8 दर्ज है तथा उक्त भूमि में डाल्या उर्फ डालू एवं काल्या उर्फ कल्याण का 1/4 हिस्सा दर्ज है । डाल्या उर्फ डालू का लाऔलाद देहावसान दिनांक 03.02.1995 को हो चुका है । डाल्या उर्फ डालू के भाई काल्या उर्फ कल्याण के पगडी बंधी थी तब से डाल्या उर्फ डालू के हिस्से पर काल्या उर्फ कल्याण काबिज काश्त होकर खेती करते चले आ रहे हैं । काल्या उर्फ कल्याण ने अपनी वसीयत कार्तिक बुद्धि 11 सम्वत् 2052 को हरचन्दा उर्फ बुद्धि प्रकाश के पक्ष में गवाहों की उपस्थिति में कर अपना अंगूठा निशानी किया था । तब से हरचन्दा उर्फ बुद्धि प्रकाश अपने हिस्से एवं डाल्या व काल्या के हिस्से पर प्रतिवादीगण की जानकारी में निरन्तर निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है । प्रतिवादीगण जबरन वादीगण की भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः वादीगण को वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादीगण को वादग्रस्त आराजी वादपत्र के चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में डाल्या उर्फ डालू एवं काल्या उर्फ कल्याण के हिस्से 1/4 का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर तद्नुसार जमाबन्दी व अन्य राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एंव डिक्री दिनांक 20.06.2016 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी में डाल्या उर्फ डालू, कालू उर्फ कल्याण के हिस्से 1/4 पर वादीगण को खातेदार घोषित करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करने का निर्णय पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.06.2016 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 2 प्रहलाद अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण को प्रोपर तामील करवाये बिना ही तथा उन्हें प्रतिरक्षा का अधिकार दिये बिना ही उक्त निर्णय एंव डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण है । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट कम 1 से 6 की उपस्थिति में एक तरफा रूप से साक्ष्य लेकर अनुचित निर्णय पारित कर दिया जो अवैध होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने फर्जी वसीयत को सही मानते हुए निर्णय व डिक्री पारित कर दी अपीलान्ट ने तथाकथित फर्जी वसीयत के लिए न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनवा जिला बून्दी में परिवार भी दायर कर रखा है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री

टपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.06.2016 निरस्त फरमया जावे तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । वादग्रस्त आराजी में वादीगण रेस्पोडेन्ट का हिस्सा 5/8 दर्ज था तथा उक्त भूमि में डाल्या उर्फ डालू एवं काल्या उर्फ कल्याण का 1/4 हिस्सा दर्ज था । डाल्या उर्फ डालू का लाऔलाद देहावसान दिनांक 03.02.1995 को हो चुका था । डाल्या उर्फ डालू के भाई काल्या उर्फ कल्याण के पगडी बंधी थी तब से डाल्या उर्फ डालू के हिस्से पर काल्या उर्फ कल्याण काबिज काश्त होकर खेती करते चले आ रहे हैं । काल्या उर्फ कल्याण ने अपनी वसीयत कार्तिक बुद्धि 11 सम्वत् 2052 को हरचन्दा उर्फ बुद्धि प्रकाश के पक्ष में गवाहों की उपस्थिति में कर अपना अंगूठा निशानी किया था । तब से रेस्पोडेन्ट के पिता मृतक हरचन्दा उर्फ बुद्धि प्रकाश अपने हिस्से एवं डाल्या व काल्या के हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं जिसकी अपीलान्ट को पूरी जानकारी है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 20.06.2016 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । नकल जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 के अनुसार वादग्रस्त आराजी भूरा, प्रहलाद पिसरान केसरा कौम माली हिस्सा 10/96 नर्बदा, प्रेम पुत्रियॉ केसरा हिस्सा 2/96 डाल्या, काल्या पिसरान औंकार हिस्सा 1/4 राजेश कुमार, सुरेश कुमार पिसरान हरचन्दा व जितेन्द्र, रणजीत पिसरान हरचन्दा ना0 बा0 वली माता कन्या मु0 कन्या बेवा हरचन्दा विमला पुत्री हरचन्दा हिस्सा 5/8 कौम माली के नाम खातेदारी में दर्ज है । इस प्रकार उक्त वादग्रस्त आराजी पक्षकारान के संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें सहखातेदार डाल्या उर्फ डालू एवं काल्या उर्फ कल्याण की मृत्यु हो चकी है । प्रस्तुत प्रकरण में वादी रेस्पोडेन्ट ने उक्त भूमि के सम्बन्ध में मृतक डाल्या उर्फ डालू की पगडी उनके भाई काल्या उर्फ कल्याण की बंधना बताया है और कल्याण द्वारा वसीयत हरचन्दा उर्फ बुद्धिप्रकाश के पक्ष में निष्पादित होने का कथन किया था जिसके सम्बन्ध में वादीगण रेस्पोडेन्ट द्वारा छाया प्रतियॉ पेश की है जिन्हें प्रदर्श भी नहीं करवाया गया है और उक्त दस्तावेज पंचनामा एवं वसीयत छाया प्रतियॉ हैं जो साक्ष्य में किसी प्रकार से ग्राह्य योग्य नहीं है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है ।

10. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल सहमति के आधार पर ही निर्णय पारित किया जाता है । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय एंव डिक्री पारित की है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से उक्त अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.06.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य, जवाबदावा आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दावा एवं जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 14.05.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 27.03.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा